**Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,**
*Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com*
*PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, MAR-APR, 2019, VOL- 6/50*

# अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय: सामाजिक न्याय पर उठते सवाल

**विनीत कुमार सिन्हा, Ph. D.**
*राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय*
*ई. मेल- binit_sinha2004@yahoo.com*

**Abstract**

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है? इस प्रश्न का जवाब जब हम ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं तो सारे तर्क और तथ्य इसके अल्पसंख्यक संस्थान होने के खिलाफ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का न केवल अल्पसंख्यक होने का दावा गलत है बल्कि राष्ट्रीय आरक्षण नीति को लागू नहीं करके संवैधानिक अपराध भी किया है। अनेकों प्रामाणिक तथ्य होने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों, गैर शैक्षणिक पदों पर काम करने वाले योग्य नागरिकों और शिक्षकों के लिए भारतीय आरक्षण नीति के तहत अवसर न दिये जाने का अपराध किया जा रहा है। यहां विश्वविद्यालय द्वारा मुस्लिमों को दिया जाने वाला पचास प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है, जिसकी अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है। कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित नहीं कर सकती। संविधान के सातवीं अनुसूची की संघीय सूची- एक में प्रवृष्टि 63 में इसका वर्णन है।*

***की- वर्डस्:*** *अल्पसंख्यक, आरक्षण, सामाजिक न्याय, संवैधानिक संशोधन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग।*

*Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com*

## प्रस्तावना-

जिस विषय पर हमने यह आलेख लिखना आरंभ किया है वह थोडा़ पेचीदा भी है और विवादित भी। ऐसा इसलिए कि एक वर्ग इसे अल्पसंख्यक संस्थान मानता है और इससे संबंधित विशेषाधिकार पर अपना दावा करते हैं जबकि दूसरा वर्ग इस विश्वविद्यालय को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की ही तरह राष्ट्रीत हित का एक केंद्रीय संस्थान मानता है, अत: यहाँ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आरक्षण नीति को लागू करने की आवश्यकता है जो अब तक नहीं हो रहा है। एक तीसरा वर्ग भी है जिन्हें संबंधित विषयों पर तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं होने की वजह से हमेशा अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की पृष्ठभूमि, विगत-इतिहास, संविधान सभा, संसद में होने वाले बहसों,सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय का और केंद्र सरकार के निर्णयों का संक्षेप में वर्णन आवश्यक हो जाता है।

सर सैयद अहमद ख़ां एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् रहे हैं। शिक्षा जगत में उनकी गहरी रूचि की वजह से उन्होंने 1872 में ' मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल फंड कमिटि' की स्थापना की और तीन वर्ष बाद ही 1875 में एक स्कूल आरंभ किया। फिर, इन्हीं के प्रयासों से 1877 में तत्तकालीन वायसराय लार्ड रिपन ने मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल महाविद्यालय का शिलान्यास किया। आरंभ में यह महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंद्ध था जो 1887 से इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। अपने भाषणों में सर सैयद अहमद खां ने साफ कहा था कि इस संस्था में हिन्दु और मुसलमान के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनहोंने कहा कि जो मेहनत करेगा उसे अवार्ड मिलेगा। हिन्दु और मुसलमान तो मेरे दोनों आंखें हैं। इस संबंध में सर सैयद अहमद खां को मजहब के आधार पर भेदभाव को समर्थन स्वीकार्य नहीं था। 1898 में इनकी मृत्यु हो गई और तब से ही एक विश्वविद्यालय आरंभ करने की योजना से मुस्लिम प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच बातचीत शुरू हुआ। 1911 में स्थापित मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी तथा मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज सोसायटी के प्रतिनिधियों ने पहली बार लिखित रूप से तत्तकालीन

भारत सरकार के समक्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मांग रखा और कहा कि उसकी डिग्रियां भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, विश्वविद्यालय का पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन मुसलमानों के हाथों में हो और इस विश्वविद्यालय के नियंत्रण में एवं उससे संबंधित देश में हजारों विद्यालयों एवं महाविद्यालयों चलाए जाएंगे, जिनमें मुस्लिम विद्यार्थियों को अपने मजहब के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। इस मांग पत्र को ब्रिटिश सरकार ने सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय स्थापित होगा भी तो उन दिनों की केंद्रीय विधान परिषद् द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही होगा और उस विश्वविद्यालय का संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्ण रूप से उस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के हाथों में होगा। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय द्वारा देशभर में हजारों विद्यालयों के संचालन के शर्त को नहीं माना गया।

हालांकि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर मुस्लिम पक्ष और सरकार के बीच बातचीत चलती रही। विश्वविद्यालय के प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर सरकार और मुस्लिम पक्ष में खींचातानी चलती रही। 24-09-1915 को हरकोर्ट बटलर ने राजा महमूदाबाद को एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तर्ज पर यदि मुस्लिम समाज विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रावधानों को मान लें तो विश्वविद्यालय को मान्यता देने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। लेकिन समाज के अडिग रवैये की वजह से विश्वविद्यालय स्थापना की बात 1915 तक लगभग निर्रथक ही रही।

दूसरी ओर, पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सक्रिय थे और सरकार के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप 10 अक्टूबर 1916 को काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। बी एच यू की स्थापना के बाद एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर सरकार से बातचीत आरंभ हुआ। लेकिन 1920 के पहले तक ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्पष्ट चेतावनी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बी एच यू के ही तर्ज पर मिल सकता है अन्यथा नहीं। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शिक्षा से संबंधित विषयों को देखने वाला हरकोर्ट बटलर ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी के राजा महमूदाबाद से साफ शब्दों में कह दिया था कि विश्वविद्यालय के संबंध में नियंत्रण जैसे विषय पर वहीं शर्तें होंगी जो बी एच यू पर लागू है। फलत: अप्रैल 1916 की लखनऊ बैठक में मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी ने भारत सरकार के नियंत्रण की बात मान तो लिया परन्तु, विश्वविद्यालय के अंतर्गत विद्यालय स्थापना और मान्यता देने की बात पर अभी भी मुस्लिम समाज अडिग रहा। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि सालभर बाद ही 1917 में मुस्लिम समाज ने भारत सरकार की वह सारी बात मान लिया जिसमें विद्यालयों को मान्यता देने के लिए किसी प्रकार का अधिकार नहीं देने जैसी बात भी शामिल थी। 8 अप्रैल 1917 को अपनी एक बैठक में मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि बी एच यू के तर्ज पर ही यह कमिटी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए तैयार है।

अब सरकार को आगे बढ़ना था। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और इसी वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। इस अधिनियम के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन सरकार के द्वारा किया जाना था और मुस्लिम समाज द्वारा पहले से संचालित तीनों संस्थाओं- मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमिटी को विलय कर दिया गया और इनकी समस्त संपत्ति, समस्त उत्तरदायित्व और सारे अधिकार इस नव निर्मित विश्वविद्यालय में निहित कर दिया गया।

उपर के विवरण से यह तो साफ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई है परन्तु, इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मुस्लिम समाज की भूमिका अहम रही है। इसके साथ ही यह तथ्य भी उतना ही सत्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में हिन्दू समाज के दानवीरों की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। महाराज विजयनगरम, ठाकुर गुरू प्रसाद सिंह(बेसवान), कुँवर जगत सिंह (बिजनौर), राय शंकर दास( मुजफ्फरनगर), राजा हरिकिशन सिंह, दरभंगा महाराज, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, महाराज पटियाला जैसे हिन्दू गणमान्य लोगों ने खुलकर सहायता और सहयोग किया। इस तरह मुस्लिम समाज का दावा

*Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*

अभी तक इस आधार पर खारिज है कि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन संसद के अधिनियम के तहत सरकार के पास है न कि मुस्लिम समाज के पास। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि 1920- 1950 अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण तक किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही आस्तित्व में आया। अत: इस विश्वविद्यालय में मुस्लिम समाज होने की वजह से मुसलमानों को कोई आरक्षण जैसी व्यवस्था कभी नहीं रही।

1920 से 1950 के दौरान अनेकों बार ऐसे प्रसंग आए जब ए एम यू एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि 1931, 1935, 1937, 1941, 1943 और 1945 में संशोधन किए गए परन्तु यह संशोधन भी केंद्रीय विधायिका द्वारा ही किया गया था। इस तरह के संशोधनों में मुस्लिम समाज का कोई दखल नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समाज की उस समय की इच्छाओं के अनुरूप ही हुआ था।

**संविधान सभा की स्थिति:**

भारतीय संविधान सभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। इस सभा में कई मुस्लिम सदस्य भी थे लेकिन किसी भी सदस्य ने यह मांग नहीं उठाई कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मान लिया जाय। संविधान सभा का यह निर्णय सर्वसम्मत रूप से लिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान माना जाए। यही वजह है कि तमाम विमर्श के बाद इस विश्वविद्यालय को संविधान के अनुसूचि सात के तहत संघ सूची के प्रविष्टि संख्या 63 के तहत रखा गया जिसमें कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ के समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा कोई भी अन्य संस्थान, जो संसद द्वारा तथा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। इस सूची के किसी भी विषय को अल्पसंख्यक दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जबतक संसद ने ऐसा न किया हो क्योंकि इस सूची से किसी विषय को बाहर करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस पर बोलते हुए कहा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बी एच यू) तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए एम यू) दोनों ही भारतीय संसद द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इन्हें संघीय सूची एक में रखा जाना चाहिए। महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान सभा में उस वक्त अति सम्मानित मौलाना आजाद भी मौजूद थे और विश्वविद्यालय की स्थापना का एक पक्षकार भी रहे, तब भी इन्होंने भी अल्संख्यक दर्जा नहीं मांगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक शब्द चर्चा तक में शामिल नहीं हुआ।

इन दोनों विश्वविद्यालय को जब केंद्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया जा रहा था, उस समय पहले से मौजूद अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विधान मंडल द्वारा ही स्थापित किए गए थे लेकिन संविधान सभा द्वारा ऐसा लगता है कि सौद्देश्यात्मक पद्धति के आधार पर केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ही संघीय सूची में शामिल किया गया। शेष अन्य विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया था। दिल्ली की कोई स्वतंत्र स्थिति न होने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय को भी संघीय सूची में स्थान मिल गया था।

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता:**

इस अधिनियम में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो संविधान सम्मत नहीं था। यही स्थिति बी एच यू के साथ भी था। दरअसल, ए एम यू अधिनियम 1920 और बी एच यू अधिनियम 1915 में क्रमश: मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए एवं हिंदू विद्यार्थियों के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही, ए एम यू एवं बी एच यू कोर्ट में क्रमशः मुस्लिम और हिन्दू सदस्य ही हो सकते थे। अतः स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्रीमान मौलाना आजाद ने संसद में इसके लिए संशोधन बिल रखते हुए कहा कि चूँकि ये दोनों ही संस्थाएं राष्ट्रीय महत्त्व के है अतः इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। संसद में मौलाना आजाद ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 28 के विरुद्ध है। इस कारण से इसमें संशोधन की आवश्यकता है और पहला संशोधन यह है कि अब

धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जगह ऐच्छिक होगी। धार्मिक शिक्षा केवल उन्हें ही दी जाएगी, जो इसकी इच्छा व्यक्त करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे संविधान के विरूद्ध है कि किसी भी शिक्षण संस्थान को साम्प्रदायिक बना रहने दिया जाय। देश की सभी शिक्षण संस्थाएं सभी दृष्टि से भारतीय होनी चाहिए, न कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई संस्थाएं। मौलाना आजाद के इस प्रस्ताव को डाॅ जाकिर हुसैन ने भी समर्थन किया था और उन्होंने कहा कि इन दोनों ही विश्वविद्यालय के कार्यों को देश के संविधान की अनुच्छेद 28 की भावनाओं के अनुरूप लाने के लिए यह आवश्यक था कि इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दी जाय। धार्मिक शिक्षा ( रीलिजियस एडुकेशन) केवल उन्हीं को दी जाय, जो इसकी इच्छा रखते हैं।

पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा ए एम यू अधिनियम की धारा 9 और 23(1) के विवादित प्रावधानों को हटा दिया गया। इसी संशोधन के द्वारा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को वीजिटर बनाया गया और 1971 में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके उत्तरप्रदेश के राज्यपाल को चीफ रेक्टर घोषित किया गया और यह भी व्यवस्था दी गई कि वाइस चांसलर विजीटर द्वारा नियुक्त होंगे। 1961में यू जी सी द्वारा गठित चटर्जी समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपने आंतरिक विद्यार्थियों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं रखने के लिए सिफारिश किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपने आंतरिक विद्यार्थियों की संख्या 75% रखने का प्रावधान था। चटर्जी समिति के इस सिफारिश को लागू करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री मोहम्मद करीम छागला जो बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे अर्थात विधि और भारतीय संविधान के अच्छे जानकार होंगे, ऐसा माना जा सकता है, ने संसद में ए एम यू अधिनियम 1920 में संशोधन बिल लाया। इस बिल के विरोध में कुछ सदस्यों ने इसके अल्पसंख्यक संस्थान होने की वजह से संशोधन का पुरजोर विरोध किया। इस विरोध का जबाव देते हुए श्रीमान करीम छागला ने 2 सितंबर 1965 में संसद में सीधे सीधे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसकी स्थापना न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है और न ही इसका प्रशासन मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है......उन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि यह संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में है। आगे कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के चार केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। मैं सभी विश्वविद्यालयों को एक समान मानता हूँ। वे सभी हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं और वे हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। मैं अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्वभारती विश्वविद्यालय में कोई अंतर नहीं मानता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है और पुनः दोहराता हूँ और दोहराता रहूंगा कि यह राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान है। यह कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

श्रीमान छागला के इस कदम से कांग्रेस पार्टी को होने वाले छह करोड़ मुस्लिम वोट के नुकसान पर सवाल करने वाले श्री मुजफ्फर हुसैन के सवाल का जबाव देते हुए संसद में श्रीमान करीम छागला ने कहा कि इससे हमने मुसलामानों को नाखुश नहीं किया। मुझे मुस्लिम समुदाय पर पूरा भरोसा है। वे सभी राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। यह एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग है। हम कुछ आदर्शों को तथा कुछ सिद्धांतों को लेकर खड़े हैं। मुस्लिम समाज वोट दें या न दें, हम अपने आदर्शों तथा सिद्धांतों का सौदा नहीं करते। यदि हमारे मित्र कांग्रेस को वोट नहींं भी देंगे तो कांग्रेस पार्टी उनके वोट के बिना भी बहुत प्रसन्न रहेगी। इस तरह से, तत्तकालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस संशोधन बिल का समर्थन किया और पारित भी हुआ।

1981 के संशोधन में भी कई महत्त्वपूर्ण व्यवस्था लायी गई। इस संशोधन द्वारा अधिनियम में धारा 8 जोड़कर यह व्यवस्था दी गई कि विश्वविद्यालय किसी भी जेंडर के सभी लोगों के लिए (अध्यापकों और पढ़ने वालों सहित) और चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, नस्ल, जाति या वर्ग का हो, के लिए खुला होगा। अर्थात् इस विश्वविद्यालय में किसी के भी साथ किसी तरह का भेदभाव की अनुमति नहीं होगी। इसी संशोधन द्वारा यह भी तय किया गया कि यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्यों में से ही चांसलर और प्रो चांसलर का निर्वाचन होगा और हम जानते हैं कि 1951 के संशोधन में यह प्रावधान हटा दिया गया कि कोर्ट के सदस्य केवल मुस्लिम समाज से होगा। इसका आशय यह

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हुआ कि दोनों महत्त्वपूर्ण और सर्वोच्च पदों पर निर्वाचन गैर मुस्लिम समाज से हो सकता है। उपर्युक्त सारे विमर्श अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान होने के विरूद्ध दिखते हैं।

1951 और 1965 में होने वाले संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। विषय यह था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है अतः इसके प्रकृति में संशोधन से संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होता है। संसद को संशोधन का अधिकार नहीं है। इस याचिका पर न्यायालय में पाँच सदस्यीय संविधान पीठ को सुनवाई करनी थी। यह 1968 का अजीज बाशा नाम से मुकदमा प्रसिद्ध हुआ। मुख्य न्यायाधीश श्री के एन वाँचू की अध्यक्षता में संविधान पीठ सर्वसम्मत से निर्णय दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 30(1) इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित करना संभव ही नहीं था, जिसकी डिग्री निश्चित रुप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इस कारण यह अनिवार्य था कि इसकी स्थापना केंद्रीय विधानसभा तथा भारत सरकार द्वारा ही हो। यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसी प्रकार से हुई है, तब मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस विश्वविद्यालय को संचालित करने का दावा करें।

अपने सर्वसम्मत निर्णय के पारा 29 में कहते हैं कि इस प्रकार अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई थी और न ही यह विश्वविद्यालय कभी मुसलमानों द्वारा संचालित किया गया है। अतः संविधान का अनुच्छेद 30(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होती है और ए एम यू अधिनियम 1920 में किसी भी प्रकार का संशोधन(संसद द्वारा) करना असंवैधानिक नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं कि 1951 में जब मौलाना आजाद द्वारा संशोधन लाया गया तो वहाँ पंडित नेहरु जी, मोहम्मद करीम छागला के समय लाल बहादुर शास्त्री जी का और जब सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन की संवैधानिकता पर प्रश्न उठा तो प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा जी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के पक्ष में मजबूती से समर्थन मिला। परन्तु, फिर भी इस विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय को स्थापित न किया जा सका और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को संस्थान में आरक्षण नहीं दिया गया। यह एक प्रकार का संवैधानिक धोखा, इस वर्ग के साथ विश्वासघात और कलुषित षडयंत्र के साथ सामाजिक अन्याय था।

1972 और 1979 में लाए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में संशोधन के दौरान भी यही स्थिति बनी रही कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है। 1972 में तत्तकालीन शिक्षा मंत्री श्री नरूल हसन ने इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक करने की मांग को न तो देश हित में ही और न ही मुसलमानों के हित में ही मानते थे। उन्होंने इन बातों को संसद में कहा है। संसद की कार्यवाही में ही नरूल हसन ने कहा है कि न तो वर्तमान में कोई इरादा है और न ही अतीत में कोई इरादा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धार्मिक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया जाए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह फिर से चर्चा में आया। 1978-79 के दौरान संसद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को लेकर एक बार फिर से लंबी बहस हुई। उस वक्त के शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंदर ने साफ किया कि हमें सर्वोच्च न्यायालय(1968) के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने संसद भवन में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि यह संस्थान भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान में जो स्थिति है, उसके अनुसार यह सदन सर्वोच्च न्यायालय (1968) के निर्णय से बँधा हुआ है। अतः यह ध्यान में रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई ऐसी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, जो संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत आती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आजादी के पूर्व मुसलमान अपना एक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तब के केंद्रीय विधानसभा द्वारा की गई थी।

*Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*

शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र चंदर ने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसद के बिना पास किए ही कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई, जैसे कि गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, महाराष्ट्र का एस एन डी टी विश्वविद्यालय। कोई विश्वविद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिनियम पारित हो, ऐसा नियम 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के बाद बना है। इसके पूर्व विश्वविद्यालय आरंभ करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 1979 में संसद में चर्चा के दौरान एक सांसद सदस्य श्री जी एम बनातवाला द्वारा रखे प्रस्ताव कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान माना जाए, के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र चंदर ने कहा कि "श्री बनातवाला ने कुछ संशोधन लाया है। विश्वविद्यालय को संविधान की धारा 30(1) में लाने की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। यह केवल तभी संभव है जब हम सर्वोच्च न्यायालय के पुराने सर्वसम्मत निर्णय को बदल दें अन्यथा केवल शब्दों के हेराफेरी से इस संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान का स्वरूप नहीं दिया जा सकता।" संसद की इसी कार्यवाही में सांसद श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि "सर्वोच्च न्यायालय (1968) का एक निर्णय है, और भी अनेक तरह के विचार हो सकते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहँचा था कि यह विश्वविद्यालय संवैधानिक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है और यह किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थापित नहीं है।" इस तरह हम देखते हैं कि मोरार जी देसाई की सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (1968) के पक्ष में खड़ी रही और सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यह विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी है।

1980 में जनता पार्टी के गिर जाने और कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लौटने की हड़बड़ी ने इसके लिए मुसलमानों को कुछ रियायत देने जैसा छल करना जरुरी बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने की बात पर सहमत हो गयी और चुनावी भाषणों में यह घोषणाएं होने लगी कि सत्ता में वापसी के उपरांत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में मुसलमानों की मांग पूरी की जाएगी,यद्धपि की यह कदम असंवैधानिक था। परिणामत: 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। यहां कांग्रेस नेतृत्व को यह जानकारी तो थी ही कि इस अधिनियम पर 1968 का सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यता है। फिर भी, कांग्रेस केवल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(आई) में उल्लेखित परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। पूर्व में वर्णित विश्वविद्यालय अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बदलकर विश्वविद्यालय अर्थात् भारत के मुसलमान मानों द्वारा स्थापित अपनी पसंद का शिक्षा संस्थान, जो मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज से प्रारंभ हुआ है और बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रुप में समाविष्ट हुआ। पूरी कोशिश इस तरह की जाने लगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समाज द्वारा की गयी है, इसे सिद्ध कर दिया जाय ताकि सर्वोच्च न्यायालय के 1968 के निर्णय को चुनौती देना आसान हो जाय। यह एक प्रकार का संवैधानिक छल था जिसे कांग्रेस द्वारा किया गया। इसके परिणाम दूरगामी होने थे। अधिनियम में संशोधन के इस प्रस्ताव द्वारा धारा 5(2)सी जोड़ दिया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि भारत के मुसलमानों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। लेकिन, यह नयी व्यवस्था एक अंतर्विरोध भी लेकर आया। 1951के संशोधन द्वारा अधिनियम में जोड़ें गये एक अन्य धारा 8 के अनुसार यह निश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय जेंडर, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। संसद में बहस के दौरान इस संवैधानिक छल पर श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि क्या आप जो कुछ 1920 में हुआ था, उसे इस प्रकार संसद के संशोधन से नकार सकते हैं? आप उन तथ्यों को इस प्रकार कानून बनाकर बदल नहीं सकते, इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम इतिहास पर पड़ने वाला है। आप क्या कर रहे हैं?आगे वे कहते हैं कि मेरा सवाल यह है कि क्या आप उस स्वरूप(करैक्टर) को नये रुप में ला सकते हैं जो वहां विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने के समय था ही नहीं? हमें उन संवैधानिक तथ्यों पर ही विचार करना चाहिए जो स्थापना के समय पर थे। मुझे बहुत संदेह है कि जो भी कुछ 1920 में एक विशेष प्रकार से स्थापित किया गया था, उसे इस प्रकार के

*Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*

कानून द्वारा नकारने की कोशिश की जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र के आश्वासनों को लागू करने के लोभ में इस महान संस्था के लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष ढांचे को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इससे न केवल संपूर्ण विश्वविद्यालय ही संकट में पड़ जाएगा वरन् यहां के विद्यार्थी, शिक्षक तथा गैर शिक्षक कर्मचारी आदि सभी गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे छल से कांग्रेस के चुनावी लाभ लेने की मंशा के प्रति आकर्षण की वजह से मुस्लिम समाज में एक रणनीति के तहत् भ्रम फैलाया गया। तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमति शीला कौल कहती हैं कि- हमने अपनी ओर से जो आश्वासन मुसलमान भाइयों को चुनावी घोषणा पत्र में दिए थे उनको पूरा करने के लिए हम आज यहां पर हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका एक ऐतिहासिक स्वरुप प्रदान किया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमने 1980 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था, विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को लाने का आश्वासन दिया था। यहां इनके वकतव्य में अंतर्विरोध दिखता है। एक ओर ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने की बात हो रही है तो दूसरी ओर उसके अल्पसंख्यक प्रकृति बहाल करने का हठ है। कांग्रेस का प्रयास यह था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय विधानसभा के स्थान पर मुसलमानों द्वारा घोषित कर दिया जाय, जो कि संभव नहीं था। यही वजह था कि एक मुस्लिम सांसद श्री राशिद मसूद ने संसद में कहा भी कि मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के 13 करोड़ मुसलमानों को यह झूठा एहसास न दिलाएं कि उनके विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। यह बिल्कुल ग़लत बात है, बल्कि यह जो अपना सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उससे एक इंच भी इधर या उधर नहीं है। केवल एक लफ्ज का इस्तेमाल करके ' आॅफ देयर आॅन च्वाइस' जो अनुच्छेद 30 में इत्तेफाक से आया है, उस लफ्ज का इस्तेमाल करके आप हिंदुस्तान के 13 करोड़ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक प्रकृति रिस्टोर किया जा रहा है।

1981 के संसद की बहस में भाग लेते हुए श्री राम जेठमलानी कहते हैं कि कांग्रेस न केवल चालाकी से काम कर रही है बल्कि इनके द्वारा मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आगे वह कहते हैं कि जिन मुसलमानों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत ही प्रिय है उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक इस बिल में आप अनेक संवैधानिक निर्णयों को इस की प्रस्तावना में नहीं लाएंगे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के 1968 के निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि 1981 में लाए गए संशोधन बिल के द्वारा विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता तब तक जब तक कि इस बिल में तथ्यपरक संवैधानिक निर्णयों को शामिल नहीं कर लिया जाय। राम जेठमलानी कहते हैं कि यह प्रयास ना केवल आधारहीन है बल्कि एक संपूर्ण समाज को बेवकूफ बनाने का प्रयास भी है ।इसके अंतर्गत मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि हम उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं जबकि सच्चाई इसके विपरीत है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा सकता। श्री जेठमलानी यहां तक कहते हैं कि यह बिल इस प्रकार से बनाया ही नहीं गया है कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप देने में समर्थ हो सके, इसका उद्देश्य केवल आंखों में धूल झोंकना है। इस संदर्भ में एक सांसद श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ ने तत्कालीन मंत्री महोदया श्रीमती शीला कॉल से पूछा कि आप सदन को यह आश्वासन क्यों नहीं देती कि वह विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देंगी। सदन की इस चर्चा में शामिल होने वाले एक अन्य सांसद श्री जी एम बनातबाला ने यह प्रश्न उठाया कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत आता है, क्या संविधान की धारा 30(1) का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संरक्षण प्राप्त होगा? आगे सांसद सदस्य कहते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देना चाहती है तो तो मेरे कुछ संशोधनों को स्वीकार करें जिससे अल्पसंख्यक संस्थान की बात भी सुनिश्चित हो जाएगी। श्री बनातबाला संशोधन प्रस्तुत करते हुए एएमयू एक्ट में यह जोड़ दिया कि 'यह विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा संचालित है'। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तत्कालीन भारत की सरकार श्री बनातबाला के ऐसे संशोधन को नहीं मान सकती थी क्योंकि ऐसा करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन होता । अतः इस संशोधन के और श्री बनात वाला के प्रश्नों के

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उत्तर में मंत्री श्रीमती शीला कौल ने कहा कि क्योंकि यह विश्वविद्यालय अपने अधिनियम, विधान एवं अध्यादेश द्वारा संचालित होता है, अतः श्री बनातबाला जी की बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता और यह संशोधन मान्य नहीं है। श्री बनातबाला के संशोधन प्रस्ताव से विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकती थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस संशोधन के विरोध में मतदान किया और संशोधन भारी बहुमत से गिर गया। इस तरह 1981 में पूरी कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने के विरोध में खड़ी थी। सरकार की नीति इस संबंध में साफ दिखती है कि मुसलमान समाज को खुश भी करना है और विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा भी नहीं देना है। अपनी प्रकृति में यह संशोधन बिल चूंकि असंवैधानिक था इसलिए 2005 में उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसे निरस्त कर दिया। यद्यपि 1981 के संशोधनों के कारण समाज में जो भ्रम का निर्माण हुआ था, उसके आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण का एक प्रस्ताव 1989 में राष्ट्रपति के पास भेजा था। भारत के राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विजिटर भी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव पर 1990 में उत्तर देते हुए कहा कि

" मुस्लिम आरक्षण के इस प्रस्ताव पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ है एवं विधि विभाग तथा अटॉर्नी जनरल के साथ व्यापक परामर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विश्वविद्यालय के कोर्ट का यह प्रस्ताव जिसमें विश्वविद्यालय के विविध विभागों के 50% स्थान केवल मुसलमान विद्यार्थियों के लिए ही आरक्षित कर दिए जाएंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 की अनुच्छेद 8 का सीधा सीधा उल्लंघन है। यह अनुच्छेद कहता है कि यह विश्वविद्यालय सभी के लिए लिंग, जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहेगा। ध्यान में रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चलाया जाता है और इस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की धारा 29(2) का भी उल्लंघन करता है। यह घोषित करती है कि भारत की कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य की सहायता से चलती है, वह लिंग, भाषा, संप्रदाय, वर्ग, अथवा क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करेगी और किसी को भी इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं करेगी।" इसके अलावे मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखते हुए कहा कि आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए किए जाने वाला आरक्षण संबंधित प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1981 में लाए गए संशोधनों के कारण जिस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी वह समाप्त हो गई है और यह विषय बंद हो गया है। यहां पर यह साफ हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान न होकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

लेकिन जब नियत ही दोषपूर्ण हो तो नीति दोष रहित नहीं हो सकते, लगभग 15 वर्षों के बाद 2005 में कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एडमिशन कमेटी ने मुसलमान विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों का आरक्षण प्रस्ताव पारित किया, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इसका अनुमोदन किया और यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जबकि ऐसा किया जाना संवैधानिक दृष्टि से असंवैधानिक था। यहां हम देखते हैं कि गलत तरीके से 2005 में भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है। यह निर्णय असंवैधानिक था क्योंकि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रपति के निर्णयों का सीधा सीधा उल्लंघन था। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू होने वाले आरक्षण से आहत गैर मुस्लिम विद्यार्थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट दायर किया। सारे विषयों और विमर्श को गंभीरता पूर्वक सुनने के पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि

"1968 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अब भी ठीक एवं वही है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत कोई अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। 1981 के संशोधनों के बाद भी

*Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अप्रभावित है। अतः विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दे सकता । विश्वविद्यालय के ऐसे मुस्लिम आरक्षण संबंधी सभी निर्णय निरस्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का 1968 का निर्णय अब भी सही और प्रभावी है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले के ही निर्णय से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30(1)के अंतर्गत मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए अकादमी काउंसिल और कार्यकारी परिषद स्वयं अनुच्छेद 30(1) के तहत किसी संरक्षण या लाभ का दावा नहीं कर सकते। 1981 में संसद में लाए गए संशोधनों में कुछ परिवर्तन जरूर किए हैं लेकिन वे आधार जस के तस ही बने हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय से भी उच्चतम न्यायालय बनने की कोशिश की है। संसद की इस 1981 की प्रक्रिया ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उलट देने का प्रयास किया है जो गलत है, असंवैधानिक है।"

एकल बेंच के इस निर्णय से न तो भारत सरकार और न ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संतुष्ट थी। अब इन्होंने डबल बेंच का रुख किया। इस बेंच में दो जज- श्रीमान न्यायमूर्ति ए एन रे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण थे। डबल बेंच ने सभी विमर्श को सुनने के बाद 22 दिसंबर 2005 को एक ऐतिहासिक और अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायमूर्ति ए एन रे ने निर्णय देते हुए कहा कि इस विषय में हमारे पूर्व में दिए गए न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी के निर्णय से हम पूर्णतया सहमत हैं कि यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि न्यायमूर्ति महोदय का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय 1968 का अजीज बाशा वाला निर्णय अभी भी स्थिर है और अपना स्थान रखता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है बल्कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची की प्रविष्टि 63 के अंतर्गत कानूनी अधिकार क्षेत्र का विषय भी है। दोनों ही न्यायाधीशों का यह मानना था कि इस तरह की समस्या और भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि 1981 में संसद में लाए गए संशोधन बिल की धारा 21 एवं धारा 5 (2) सी जोड़ी गई थी यह दोनों ही धाराएं भेदभाव पूर्ण है। न्यायमूर्ति का मानना था कि यह संशोधन प्रशासन के संबंध में नहीं है। इन संशोधनों से 1968 के अजीज बाशा केस के आधार को छेड़ा नहीं गया है । अजीज बाशा का फैसला अब भी पूरी तरह से प्रभावी है और एकल पीठ का फैसला की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है पूरी तरह से वैध है।

**निष्कर्ष-**

ऊपर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला 50% मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से अथवा अन्य किसी प्रकार से अल्पसंख्यक आरक्षण हेतु विश्वविद्यालय अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेगा तथा अल्पसंख्यक होने का कोई दावा किसी प्रकार से भविष्य में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25 फरवरी 2005 को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को ऐसा पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक एवं न्याय के क्षेत्र में राजनीति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आगे भविष्य में भी कभी इस प्रकार से मुस्लिम आरक्षण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस निर्णय के विरुद्ध विश्वविद्यालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विद्यार्थियों के आरक्षण को असंवैधानिक ही माना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया एवं यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उसके साथ ही 2014 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक रिट दायर की गई।

वर्तमान में ये सारी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 11 जनवरी 2015 को और उसके बाद वर्तमान भारत की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से यह बात कही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। वर्तमान केंद्र की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि

*Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में हमारा वही मत है जो संविधान निर्माण के समय डॉक्टर आंबेडकर और संविधान सभा का मत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में पंडित नेहरू, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमान मोहम्मद करीम छागला, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मुरार जी देसाई जैसे ज्ञानियों का जो मत था हम उसे आज भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान भारत की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1968 के सर्वोच्च न्यायालय का एवं 2005 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से पूरी तरह सहमत है तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यह एक राष्ट्रीय महत्त्व का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कोई भी सरकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित नहीं कर सकती।वर्तमान सरकार अजीज बाशा मामले में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के साथ खड़ी है। इस तरह से स्पष्टता के साथ दिए गए निर्णय के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण की सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है। यह विधान,संविधान और सामाजिक न्याय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन का एक उदाहरण है।

**संदर्भ -**

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित राष्ट्रीय पूरा लेखाकार के दस्तावेज*

*बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915*

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920*

*भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रथम संशोधन के समय की संसद की कार्यवाही, 1951*

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1951*

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1965*

*अजीज बाशा केस में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का निर्णय, 1968*

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972*

*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन (अधिनियम), 1981*

*http://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/aligarh-muslim-university-amendment-act-1981.*

*राष्ट्रपति (विजिटर)का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भेजा गया पत्र, 17 अगस्त 1990*

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजा गया पत्र,*

*25 फरवरी 2005*

*इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, 4 अक्टूबर 2005*

*इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्णय, 22 दिसंबर 2005 एवं 5 जनवरी 2006*

*राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006*

*Press Trust of India, New Delhi, Feb 12. 2019-SC refers to 7- Judges bench issue of determining correctness of minority status to AMU.*